ग्राम पंचायत ब्राह्लड़ी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश - 177026 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि: 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1 **प्रस्तावना:**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ब्राह्लड़ी , विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभागद्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान्व सचिव कार्यरत थे:

प्रधान:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्रीमती रानी देवी	23.01.2011 से 22/01/2016
2	श्रीमती अमन जीत	23/01/2016 से लगातार।

सचिव:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्री अश्वनी कुमार	01/04/2015 से 13/11/2017
2	श्रीमति बेबी रानी	14/11/2017 से 19/06/2018
3	श्रीमति बिन्दु बाला	20.06.2018 से लगातार।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:

ग्राम पंचायत ब्राह्लड़ी विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹)
1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	22.24
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	0.35
3	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	3.15
4	15	नि० कार्य 20 नं० सोक पिट इन विल्लेज डुढाणा हेतु स्टॉक से जारी निर्माण सामग्री की पुष्टि एवं मस्ट्रोल बारे।	0.69
5	21	भुगतानों के सन्दर्भ में वाऊचर/ अभिलेख इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाए जाने बारे।	0.52

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:

ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील अनुभाग अधिकारी तथा श्री विद्या सागर, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17-07-2018 से 20-07-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2015-16	03/2015	05/2015
2016-17	03/2016	03/2017
2017-18	03/2017	08/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:

ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009"** को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-25 दिनांक 19 /07/2018 के द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्राहलडी से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्या 067858 दिनांक 27/07/2018 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति:

ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति **परिशिष्ट–1** के अनुसार निम्न प्रकार से थी -

(1) स्वस्त्रौत:

ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिमशेष (₹)
2015-16	39020	46918	85938	70896	15042
2016-17	15042	30801	45843	45313	530
2017-18	530	20300	20830	12575	8255

(2) अनुदान:

ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न**परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिमशेष (₹)
2015-16	463224.00	2400291.00	2863515	2528324.00	335191
2016-17	335191	3197200.10	3532391	2250330.10	1282061
2017-18	1282061	4232949.00	5515010	3291227	2223783

3 दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी के बैंक खातों में अन्तिम शेषों का विवरण :

क्रमांक संख्या	रोकड़ बही	बैंक	बैंक खाता संख्या	राशि (₹)
1	GCB-A	PNB NALTI	100015451	6719
2	GCB-B	KCCB NALTI	20005047081	83035
3	GCB-B	PNB NALTI	1058879	181098
4	14th F C	PNB NALTI	100015433	1870007
5	SBM	PNB NALTI	1064108	89642
		कुलराशि		**2230501**

5.1 बैंक समाधान विवरणी:

स्व स्त्रौत: दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष:	₹8255
अनुदान: दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष:	₹2223783
स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में दिनांक 31.03.2018 को अन्तिम शेष:	**₹2232038**
दिनांक 31.03.2018 को बैंक खातों में अन्तिम शेष:	**₹2230501**
दिनांक 31.03.2018 को हस्तगत राशि :	**₹1536**
कुल योग:	**₹2232037**
अन्तर की राशि: (राउंड ऑफ के कारण)	**1**

5.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत ब्राह्लड़ी की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायतद्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **7(3)** व **10(1)** के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 निवेश:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि जिससे इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण कोभी अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹22.24 लाख का उपयोग न करना:

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31-03-18 को ₹2223783 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुयेअनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹0.35 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्वः स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 तक पंचायत राजस्व ₹35200 वसूली हेतु शेष थीः–

(1) मोबाइल टावर शुल्क

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	0	0	0	0	0
2016-17	0	4000	4000	0	4000
2017-18	4000	2500	6500	2500	4000

2 गृह कर

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	0	27750	27750	25300	2450
2016-17	2450	23500	25950	22250	3700
2017-18	3700	27500	31200	0	31200

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था।लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को

नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 **हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो एवं प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित होगी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय विशेष प्राधिकृत किया गया हो। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है और सभी बिलों को केवल पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही पारित किया गया है न कि उपरोक्त नियमानुसार प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से पारित किया गया था।

जोकि एक गंभीर अनियमितता है। अत: हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित करने के उपरांत ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

11 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.15 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है।

निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹315349 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। उक्त के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 25 दिनांक 20-07-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए

क्र. स.	कैशबुक	वाउचर/कैश बुक पेज संख्या:	दिनांक/मास	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
1	GCB(ख)	8/50	15/05/15	रेता	2000
2	GCB(ख)	27/87	16.03.17	क्रैशर	8400
3	GCB(ख)	28/87	16.03.17	रेता	9000
4	GCB(ख)	13/96	14.08.17	मिक्सर	5300
5	GCB(ख)	14/96	14.08.17	बजरी(ए०पी०आर० नहीं थी)	5000
6	GCB(ख)	14/96	14.08.17	बोल्डर	5000
7	GCB(ख)	16/97	18.08.17	क्रैशर (फ़ाइल में वाउचर नहीं मिला)	7500
8	GCB(ख)	17/97	18.08.17	बजरी खड्ड रेता खड्ड व पत्थर खड्ड	13748
9	GCB(ख)	19/98	24.08.17	बजरी खड्ड	16906
10	GCB(ख)	23/98	24.08.17	नाली के लिए जाला	3847
11	GCB(ख)	24/98	24.08.17	क्रैशर	5500
12	GCB(ख)	25/98	24.08.17	सीमेंट किराया	6900
13	GCB(ख)	26/98	24.08.17	रेता खड्ड	5625
14	GCB(ख)	27/99	08/17	क्रैशर	5500
15	GCB(ख)	28/99	08/17	नाली के लिए जाला	5985
16	GCB(ख)	30(1)/100	08/17	बोल्डर	17381
17	GCB(ख)	30(2)/100	08/17	मिक्सर किराया	4400
18	GCB(ख)	31/100	08/17	सीमेंट किराया	5500
19	13th/14th FC	8/61	15.05.15	सीमेंट किराया	12816
20	13th/14th FC	10/62	15.05.15	बजरी, पत्थर	3000
21	13th/14th FC	11/62	15.05.15	ढ़लाई बजरी, पत्थर	1500
22	13th/14th FC	35/101	02.08.17	बोल्डर सप्लाई	4000
23	13th/14th FC	36/101	02.08.17	बजरी खड्ड व पत्थर खड्ड	6000
24	13th /14th FC	37/101	02.08.17	हैम्बर ड्रिल द्वारा खुदाई	12000
25	13th/14th FC	38/101	02.08.17	पी०वी० सी० पाइपें इत्यादि	16170
26	13th/14th FC	40/101	02.08.17	ढ़लाई(अस्पष्ट) 6 ट्राली	6000

27	13th/14th FC	40(1)/101	02.08.17	बजरी, बोल्डर	6000
28	OWN	18	23/03/17	लेखन सामग्री आदि	7650
29	OWN	19	23/03/17	स्टारिंग	7500
30	OWN	20	23/03/17	स्वच्छता सामग्री	7100
31	SBM	20	03/03/17	ईटें	35750
32	SBM	2	24/04/17	सरिया आदि	7013
33	SBM	6	01/06/17	सरिया आदि	6279
34	MNREGA	12	07/03/17	भाड़ा	15000
35	MNREGA	19	07/03/17	बजरा	6997
36	MNREGA	15	07/03/17	बजरी	9742
37	MNREGA	16	07/03/17	बजरी	11340
				कुल राशि	**315349**

12 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप 3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है | इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए

13 क्रय सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक मद को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा क्रय मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय मद को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

14 सीमेंट क्रय करने पर ₹91 का अधिक भुगतानः–

वाउचर संख्या 18 दिनांक 24.08.2017 रोकड़ वही पेज 98 खाता"ख " व वाउचर संख्या 44 रोकड़ वही 14वां वित्त आयोग पृष्ठ 102 की जांच करने पर पाया कि हि०प्र० नागरिक आपूर्ति निगम से उनके बिल जीपीए नं० 534857 दिनांक 30.08.2017 के तहत पंचायत द्वारा 189 बैग सीमेंट ₹262.20 प्रति बोरी की दर से ₹49556 का सीमेंट खरीदा गया था, जिसके लिए ₹39195 व ₹10452 का भुगतान क्रमश: 150 व 39 बोरी की एवज़ में उक्त रोकड़ वहियों के पृष्ठ 98 व 102 के अन्तर्गत किया गया था। इस प्रकार ₹91 (₹39195 + ₹10452 - ₹49556) का अधिक भुगतान किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए।

15 नि० कार्य 20 नं० सोक पिट इन विल्लेज डुढाणा हेतु स्टॉक से जारी निर्माण सामग्री की पुष्टि एवं मस्ट्रोल बारे।

शीर्ष SBM के अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य हेतु स्टॉक से जारी निर्माण सामग्रीजोकि माप पुस्तिका 6249 पेज 75 पर निम्नविवरणानुसार दर्शाई गई थी, की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं करवाई जा सकी।

नि० सामग्री विवरण	मात्रा	दर	राशि (₹)
सीमेंट	30 बोरी	295	8850
W. B. Agg.	6.14m^3	625	3837
रेत	1.60m^3	725	1160
ईंटें	3300	6.40	21120
स्टील	226kg	40	9040
पाइप	3 नं०	450	1350
बोर्ड व फोटो			600
	योग		**45957**

इसके अतिरिक्त उक्त कार्य हेतु दो मस्ट्रोलों के तहत 234 कार्यदिवसों (117+117) के एवज़ में ₹46800 (₹23400+23400) का भुगतान किया गया था। पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 08.10.2016 के अन्तर्गत एक मस्ट्रोल दिनांक 01.12.2016 से 24.12.2016 तक व दूसरा मस्ट्रोल दिनांक 04.11.2017 से 24.11.2017 तक की अवधि के लिए जारी किया गया था। इसके विपरीत माप पुस्तिका 6249 पेज 73 के अनुसार उक्त कार्य माह 01/2016 को शुरू व 09/2017 में समाप्त किया गया था। इस प्रकार मस्ट्रोल

अवधि 04.11.2017 से 24.11.2017 के विरूद्ध ₹23400 के व्यय संबंधी तथ्यों में विरोधाभास के कारण कार्य समयावधि से बाहर होने के कारण असंगत एवं अनियमित प्रतीत होता है। अत: संस्था द्वारा अपने स्तर पर अंकेक्षण अवधि के ऐसे सभीप्रकरणों की आवश्यक जांच कर वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करे अन्यथा ₹69357(₹45957+₹23400) की वसूली दंड ब्याज सहित उचित स्त्रोत/चूक कर्ता से करना सुनिश्चित किया जाए।

16 गृह कर के रूप में प्राप्त आय मे से₹800 को पंचायत निधि मेंकम जमा करवाना।

रसीद संख्या 336001 से 336100 तक 100 रसीदों के विरूद्ध ₹50 की दर से कुल ₹5000 प्राप्त किए गए थे जबकि रोकड़ वही में इनसे प्राप्ति ₹4200 दर्शाई गई है। जिसका औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा₹80 की वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

17 दो मस्ट्रोलों के विरूद्ध₹5400 का अधिक भुगतान।

शीर्ष वीकेएनवाई-एमएलए-एलएडी रोकड़ वही पेज 100 वाउचर संख्या 30 दिनांक 31.08.2017 के अन्तर्गत दो मस्ट्रोलों की भुगतान योग्य राशि का योग निम्न विवरण अनुसार ₹82,137 बनता है जबकि रोकड़ वही/पास बुक के अनुसार ₹87,537 का भुगतान किया गया था। इस प्रकार ₹5,400 का अधिक भुगतान हुआ प्रतीत होता है।

सब वाउचर	**कार्य नाम**	**अवधि विवरण**	**राशि(₹)**
मस्ट्रोल-1	नि० सं० मार्ग मेन रोड़ से डुढाण लोहियाँ	01.08.17 से 19.08.17 कुल दिन 141(1 मिस्त्री @ ₹291 + 7मजदूर @210रू०)	31068
मस्ट्रोल-2	नि० सं० मार्ग मेन रोड़ से डुढाण लोहियाँ	01.07.17 से 30.07.17 (1 मिस्त्री @ 291रू० + 7मजदूर @₹210)	51069
योग			**82137**
रोकड़ वही के अनुसार भुगतान			**87537**
कुल अधिक भुगतान			**5400**

प्रस्तुत अभिलेखों की स्थिति से वर्तमान पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या :25 दिनांक 20-07-18 द्वारा इस बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया परन्तु सचिव, द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया । अत: पंचायत स्तर पर आवश्यक जांच कर अंकेक्षण को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि को चूककर्ता से वसूल करना सुनिश्चितकिया जाए।

18 निर्धारित सीमा से अधिकहस्तगत राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि.

प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।अंकेक्षण अधियाचना संख्या 25 दिनांक 20-07-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत ब्राह्लड़ी को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु सचिव द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्रम संख्या	**नियमों के विपरीत ₹1000 से अधिक राशि हस्तगत रखने की अवधि का विवरण**	**राशि (₹)**
1	दिनांक 17.03.2018 से 25.03.2018 कैश बुक खाता ‘क”	1136
2	दिनांक 26.03.2018 से 30.03.2018 कैश बुक खाता ‘क”	1336
3	दिनांक 31.03.2018 कैश बुक खाता ‘क”	1536
4	दिनांक 12.06.2015(पेज 53) से 30.07.2015(पेज 59) कैश बुक खाता ‘ख”	1896
5	दिनांक 31.07.2015 (पेज 59) से (पेज 65) कैश बुक खाता ‘ख”	2478
6	दिनांक 31.03.2015 (पेज 67) कैश बुक खाता ‘ख”	5753
7	दिनांक 04.04.2016 (पेज 70) से दिनांक 07.06.2017 (पेज 93) तक कैश बुक खाता ‘ख”	2478

अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 हस्तगत राशि के शेष में ₹3275 का अंतर/दुरूपयोग

रोकड़ बही खाता ‘ख’ पेज 67 दिनांक 31.03.2015 को हस्तगत रोकड़ शेष ₹5753 दर्शाया है जबकि पेज 68-69 खाली छोडने के बाद दिनांक 04.04.2016 को पेज 70 पर हस्तगत शेष नहीं दिखाया गया है। किन्तु पेज 70 पर दर्शाये कुल योग ₹37182 को मिलाना चाहें तो उसके लिए ₹2478 जोड़ने पड़ेंगे। इसके बाबजूद भी हस्तगत राशि में **₹3275** का अंतर आता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :25 दिनांक 20-07-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्राह्लड़ी को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने बारे कहा गया परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण समाप्ति होने तक नहीं दिया गया ।उक्त अवधि के दौरान हस्तगत राशि के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: पंचायत स्तर पर आवश्यक जांच कर अंकेक्षण को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि को चूककर्ता से वसूल करना सुनिश्चितकिया जाए।

20 ग्राम सभा हेतु ₹5100 के अग्रिम का अनियमित भुगतान।

14TH एफ़सी कैश बुक पेज 102 वाउचर संख्या 43 दिनांक 02.08.2017 की जांच करने पर पाया कि श्री दीप राज सुपुत्र श्री शाली राम गाँव डूढाना को उसके द्वारा दी गई रसीदानुसार दिनांक 15.08.2017 को हुई ग्राम सभा की बैठक के लिये चाय़ समोसा, टेंट व कुर्सियाँ आदि की एवज़ में ₹5100 का अग्रिम भुगतान किया गया था। जिसके समर्थन में अंकेक्षण के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः पंचायत स्तर पर आवश्यक जांच कर अंकेक्षण को अभिलेख सहित वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जाए अन्यथा ₹5100 को चूककर्ता से वसूल करना सुनिश्चितकिया जाए।

21 ₹0.52 लाख के वाउचर/अभिलेख इत्यादि अंकेक्षण को उपलब्ध न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए ₹52120 के भुगतानों के संबंध में निम्नविवरण अनुसार वाउचर/ अभिलेख अंकेक्षण दल को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक/ कैश बुक पेज	विवरण	राशि (₹)	
1	16/18.08.2017/ 97	क्रैशर 200 फुट @ 38/- खाता 'ख'	7500	
2	03/04.03.2017/ 06	उप-प्रधान को अदायगी	15400	रोकड़ बही में अदायगी अवधि, नाम आदि संबंधी तथ्य स्पष्ट नहीं थे
3	यथोपरि	सदस्य को अदायगी	17500	यथोपरि
4	04/04.03.2017/ 06	चौकीदार कमाल ज्योति को अदायगी	11100	रोकड़ बही में अदायगी अवधि संबंधी तथ्य स्पष्ट नहीं थे
5	08/ 29.05.2015	बिजली बिल	620	
		कुल राशि	**52120**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 25 दिनांक 20-07-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्राह्लड़ी को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था । परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं की गई। अत: समर्थित वाउचरों के अभाव में ₹52120 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

22 आवश्यक अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये

हैं | चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों केदुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता| है

23 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था।जो कि अनियमित व आपतिजनक है।अंकेक्षण अधियाचना संख्या :25 दिनांक 20-07-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**रजिस्टर का प्रकार/विवरण**	**प्रारूप**	**सन्दर्भित** नियम
1	रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर	4	13 (5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
4	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
5	अनुपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर	25	72 (1)
6	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर	26	72 (1) ख
7	मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
8	तकनीकी जाँच पड़ताल तथा तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)
9.	अनुदान रजिस्टर (सामान्य) नियम, 1997	8	34
10.	यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।		
11	गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।		
12.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	13	48
13	वर्गीकृत सार रजिस्टर	8	29 (4)

24 प्रत्यक्ष सत्यापन:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखेसंकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के

अन्तर्गत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में विद्यमानता/ उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी एक गंभीर अनियमितता है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

विविध अनियमितताएं

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही । जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

25 **लघु आपति विवरणिका:-** संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

26 **निष्कर्ष:-** संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में अति सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)62/2018 खण्ड–1–6227–6230 दिनांक–19.09.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत ब्राहलडी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046